


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(16)न्याय/92

जयपुर, दिनांक : 24.04.2019


—: आज्ञा :—

श्री रमेश चन्द कुमावत, उप विधि परामर्शी, वाणिज्य कर विभाग राजस्थान, जयपुर का दिनांक 24.03.2019 को आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप दिनांक 24.03.2019 से राजस्थान विधि सेवा संवर्ग से पृथक किया जाता है।

आज्ञा से

24.4.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमती तनुजा कुमावत पत्नी स्व० श्री रमेश चन्द कुमावत, ई-265, लाल कोठी योजना, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


24.4.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव